न्यायालय द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2022 (GCMS/2022/63)
पंजीयन दिनांक - 27.05.2022
आदेश दिनांक - 10.06.2022

श्री भंवरसिंह पिता स्वं नाहरसिंह राणावत, निवासी बरोडिया, पोस्ट वाना, वाया खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।	बनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर

द्वितीय अपील अंतर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर प्रकरण संख्या (सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012)/01/22 निर्णय दिनांक 28.03.2022

निर्णय

दिनांक 10.06.2022

- श्री भंवरसिंह पिता स्वं नाहरसिंह राणावत, निवासी बरोडिया, पोस्ट वाना, वाया खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपील दिनांक 23.05.2022 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जो इस न्यायालय को 24.05.2022 को प्राप्त होकर दिनांक 27.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी अनुसार प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा कार्यवाही करने के कथनों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

- संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्रांक 1903 दिनांक 27.05.2022 से श्री भंवरसिंह राणावत द्वारा प्रस्तुत अपली की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर, उदयपुर) को भिजवाते हुए अपील पर जवाब मय अभिलेख चाहा गया।

- प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर ने अपील का जवाब दिनांक 01.06.2022 को प्रेषित कर अवगत कराया कि प्रार्थी के कब्जा काश्त संबंधी तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भू-प्रबंध विभाग की क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र अनुसार खसरा नम्बर 1543 गत खसरा नम्बर 910 से बना है जो पूर्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार चरागाह दर्ज रेकार्ड है, गत राजस्व

रेकार्ड के पुराने साबिक नम्बर से बने नये खसरा नम्बर क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र भू-प्रबंध विभाग द्वारा मौके की सर्वे कर मौके की स्थिति अनुसार बनाया जाता है, जो प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक पत्र अनुसार नवीन खसरा संख्या 1537, 1538, 1539 एवं 1540 पुराना खसरा नम्बर 564, 566, 911 एवं 913 से बने है। भूमि की सीमा जानकारी हेतु प्रार्थी तहसील कार्यालय में नियमानुसार आवेदन करें।

- प्रथम अपील अधिकारी से प्राप्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1974 दिनांक 03.06.2022 से भिजवाते हुए अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ई-मेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

- प्रश्नगत अपील में प्रथम अपील अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.06.2022 एवं पुनः दिनांक 08.06.2022 को जरिये ई-मेल से अपना प्रत्युत्तर प्रेषित कर अवगत कराया कि प्रार्थी का कब्जा पुराने समय से चला आकर काबिज हूं जिसकी धारा 91 की रसीदे एवं कब्जे काश्त संबंधी रेकार्ड मूल परिवाद अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष पेश की थी, परंतु प्रथम अपीलीय अधिकारी ने नजर अंदाज करते हुए एक तरफा निर्णय पारित किया गया है तथा सीमा जानकरी हेतु भी आवेदन किया था परंतु कोई कार्यवाही नही हुई। अतः द्वितीय अपील अपीलार्थी स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

- अपील पर प्रथम अपील अधिकारी के जवाब, प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। राजस्व ग्राम बरोडिया, तहसील भीण्डर के खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, जो वर्तमान में किस्म पडत-2 होकर महफूज चरागाह विकास पंचायत बरोडिया हिस्सा पूर्ण चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज रेकार्ड है जिस पर अपीलार्थी द्वारा आंशिक रूप अतिक्रमण किया है तथा टीन शेड बनाकर बाडे के रूप में उपयोग कर रहा है। अपीलार्थी के जवाब अनुसार उक्त खसरा संख्या 1543 जो कि पूर्व में खसरा संख्या 566 बिलानाम सरकार दर्ज थी, वर्तमान में चरनोट है जिसको बिलानाम करवाना चाहता है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 91 के नोटिस गत खसरा नम्बर 566 जिसके नवीन खसरा नम्बर 1537 से 1540 बने है, जिस पर धारा 91 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में दर्ज खसरा नम्बर 1543 उपलब्ध

रेकार्ड अनुसार भू-प्रबंध विभाग के क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र अनुसार गत खसरा नम्बर 910 से बना है जो पूर्व रिकार्ड जमाबंदी में चरागाह दर्ज रेकार्ड थी।

- प्रस्तुत अपील में यह न्यायालय पाता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात के अतिरिक्त अन्य कोई नया दस्तावेज अथवा ऐसा कोई तथ्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आराजी नम्बर 1543 गत खसरा नम्बर 566 से बना है। यह प्रकट होता है कि लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी के परिवाद पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई, अतः लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी के अपीलार्थी के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफर रहे है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी परिवादी को उक्त विधिक प्रक्रिया से ससमय अवगत कराया गया और विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया, जिसमें कोई त्रुत्रि परिलक्षित नहीं होती है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपने आवेदन/परिवाद के संबंध में सक्षम अधिकारियों के समक्ष पुनः आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर